न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–80 / 2022

1. सरबजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासीः 30केवाईडी तहः खाजूवाला।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थीया स्वंय।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है मुझ प्रार्थीया को ससुर मुख्तारसिंह ने अपनी खातेदारी चक 30 केवाईडी के मु0नं0 218 / 4 में 08.00 बीघा दिनांक 08.08.19 को उप–पंजीयक खाजूवाला द्वारा दान किया था। जिसको प्रार्थीया का नाम स्पष्ट सरबजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह दर्ज था और वही सही नाम है लेकिन इन्तकाल भरते समय सहवन से सरबजीतकौर पत्नी मलकीयत सिंह कर दिया जो दुरस्त कर दानपत्र अनुसार पति का नाम मलकीतसिंह किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीया के पति का नाम मलकीयत सिंह की जगह मलकीतसिंह करने के आदेश प्रदान करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीया की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य / सबूत के तौर पर इन्तकाल, दानपत्र, आधारकार्ड प्रस्तुत किये जिनको क्रमशः प्रदर्श 1,2,3 पढ़ा गया। जो कि पत्रावली में प्रदर्श 1 से 3 तक शामिल किये गये। तहसीलदार खाजूवाला ने भी अपनी रिपोर्ट लिखा है कि इन्तकाल संख्या 236 दर्ज करते समय प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से मलकीतसिंह के स्थान पर मलकीयत सिंह हो गया।

बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श 1–3) के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श 1–3) का गहनता से अवलोकन किया। दानपत्र में प्रार्थीया के पति का नाम मलकीतसिंह अंकित है तथा उक्त दानपत्र के इंतकाल संख्या 236 में मलकीयतसिंह अंकित है जो सहवन से दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रदर्श 1–3 के आधार पर सही नाम मलकीतसिंह दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम मलकीयतसिंह की जगह मलकीतसिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)